फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या 520 / 2021

06 / 2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	3/7/21	वकील प्रार्थी प्रक. 1 वास्ते बहस हेतु पत्रावली दि० 14/8/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)
	14/8/21	वकील प्रार्थी प्रक. 1 अप्रार्थी सं. 1 व 2 बाद तामिल उपस्थित नहीं, जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही मामले में लाई गयी है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में स्थगन पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली व दावेदारी का अवलोकन किया गया। अर्थात उपरान्त मूल वाद बाबत कुर्की नक्शा, मौके पर कार्यवाही निरोधात्मक का है। मूल वाद का निस्तारण लाख मतुल के आधार पर एक तहसीलदार शाहपुरा के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित नहीं होता है। इस स्थिति में निष्कर्ष एवं अन्तिम ~~स्थिति~~ राहत का बिन्दु भी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के उक्त प्रकरण एवं अस्वीकार का खारिज की जाती है। पत्रावली मौसिल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

(प्रति)